

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खंडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 70 दिनांक 09/05/2019


प्रार्थी सुप्रीन्द सिंह चौहान ड/0 श्री गौरी साह चौहान

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 48 के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 22,500/- जमा की है।

जरिये रसीद संख्या 1005/1780, 1781

दिनांक 09/05/19 को जमा करा दी हैं ।



प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर